

न्यायालय: शिवानी शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक २२२/स्टेनो/2025

दिनांक 21.11.2025

कार्यविभाजन आदेश 25.10.2025 में संशोधन के संबंध में विविधि आदेश
दिनांक 21.11.2025

आपराधिक प्रकरणों के पंजीयन एवं निराकरण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 25.10.2025 में बिन्दु क0-23 एवं 24 के रूप में यह निर्देश समाविष्ट किया जाता है कि—

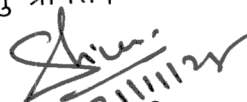
1— किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश या अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय में लंबित ऐसे सुपुर्दगी प्रकरण जो इंचार्ज न्यायिक अधिकारी द्वारा सुने और निराकृत किये जा रहे हैं, वे इंचार्ज पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में अंतरित समझे जायेंगे।

2— एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध मामलों में वे प्रकरण जो स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ की अल्प मात्रा से संबंधित हैं और जिनका विचारण उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जाना है, जिनके समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे प्रकरणों में धारा-52ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही उक्त पीठासीन अधिकारी के इंचार्ज अधिकारी द्वारा की जायेगी।


(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रीवा को सूचनार्थ प्रेषित।
✓ 2. श्री उदयभान पटेल, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट रीवा को, जिला रीवा (म.प्र.) के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/मऊगंज/त्योथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां जिला रीवा को ई-मेल द्वारा भेजने हेतु प्रेषित।


(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)